



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय  
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

कादर नवाज़ खान  
कुलसचिव  
Kadar Nawaz Khan  
Registrar



दूरभाष / Phone : +91-7152-230902

पत्रांक : 04A/प्र.प्र./N.C.C./2021-22/1248

दिनांक : 26-09-2023

**कार्यालयादेश**

विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) के Fully Self Finance Scheme (FSFS) के आधार पर सुचारु संचालन हेतु शुल्क संरचना आगणन एवं निर्धारण हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है :

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. प्रो. कृष्ण कुमार सिंह, अधिष्ठाता, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ | : अध्यक्ष    |
| 2. प्रो. अखिलेश दुबे, प्रोफेसर, हिंदी साहित्य विभाग                | : सदस्य      |
| 3. डॉ. रविन्द्र बोरकर, विभागाध्यक्ष, प्रबंधन विभाग                 | : सदस्य      |
| 4. डॉ. अनिकेत अनिल आंबेकर, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग            | : सदस्य      |
| 5. श्री विनोद वैद्य, सहायक कुलसचिव                                 | : सदस्य सचिव |

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) में सत्र 2023-24 के पंजीयन हेतु 30 सितंबर, 2023 अंतिम तिथि निर्धारित है इसके आलोक में समिति से यथाशीघ्र आख्या अपेक्षित है ।

यह कार्यालयादेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

कादर नवाज़  
(कुलसचिव)  
26/09/23

**प्रतिलिपि:**

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
3. लीला विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. संबंधित पत्रावली।